

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

2



3

अभिलेख उपस्थापित।

3 सुरेन्द्र लाल भगत पिता स्व० बंशी लाल भगत, निवास स्थान ग्राम-ओकनी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्बेखुर्द, थाना संख्या-172, खाता संख्या-09 प्लॉट संख्या-697 रकबा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि दिलीप राम पिता डमर रविदास, निवास स्थान ग्राम-चुरचू, पोस्ट एवं थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-38/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 128/रा० दिनांक 08.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1657 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत पुरना भुइया हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 8.23 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 2.76 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-9/V1 पर ऑनलाईन में शीतल दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। आवेदक के दादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक धरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिरसे की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 2.73 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है। प्रतिवेदन के साथ वर्ष 2023-24 में निर्गत ऑनलाईन लगान रसीद की प्रति संलग्न है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ. कार. टिप्पणी
1	2	
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुरेन्द्र लाल भगत पिता स्व० बंशी लाल भगत, निवास स्थान ग्राम-ओकनी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेसुर्द, थाना संख्या-172, खाता संख्या-09 प्लॉट संख्या-697 रकबा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि दिलीप राम पिता डमर रविदास, निवास स्थान ग्राम-चुरचू, पोस्ट एवं थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	